

हमारी खुशी का संसार
हमारा अपना घर



राजस्थान आवासन मण्डल



श्री अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान

हमारा प्रयास - सबको आवास



श्री शान्ति कुमार धारीवाल
मंत्री स्वायत्त शासन,
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान

राजस्थान आवासन मण्डल


खोड़ा गणेश फेज चतुर्थ किशनगढ़ पंजीकरण योजना - वर्ष 2020

पंजीकरण - वर्ष 2020

RERA REG. No. RAJ RERA APP 2020/1310 dt. 07.08.2020


आर्थिक दृष्टि से कमजोर आयवर्ग
एवं अल्प आयवर्ग
हेतु स्वतंत्र आवास

योजना | 01 सितम्बर 2020 से
अवधि | 30 सितम्बर 2020 तक



'मंडल का है यह सपना, सुंदर घर हो सबका अपना'

प्रस्तावित योजना क्षेत्र



आवासन मण्डल की योजनाओं के अन्तर्गत
 मकान प्राप्ति से विशेष लाभ

- मण्डल द्वारा निर्मित मकान खरीदने का निर्णय लेते ही आपके धन, समय व श्रम की बचत होती है और मकान बनाने के लिये आपको अलग से मूखण्ड खरीदने तथा उपकरण जुटाने की परेशानी में पड़ने की आवश्यकता नहीं होती।
- मकान के लिये एक साथ पैसा जुटाने की आवश्यकता नहीं होती। मण्डल के मकान के लिये आप निर्धारित किश्त देते रहें तो भी कुछ ही वर्षों में मकान आपका ही जायेगा।
- मण्डल द्वारा निर्मित मकानों का डिजाइन अर्जन्वी अभियन्ताओं / वास्तुकार द्वारा बनाया जाता है जिससे मकान में न केवल समस्त आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं बल्कि स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण में रहने का लाभ भी प्राप्त होता है।
- मण्डल का मकान खरीदने का अर्थ होगा, सही तक संगत मूल्य में वैज्ञानिक ढंग से विकसित कालोनी में उद्यान, स्कूल, टुकाने, यातायात सुविधाओं से युक्त साफ स्वस्थ और आकर्षक पर्यावरण का आवास।
- मण्डल बिना लाभ-हानि के सिद्धान्त पर चलता है तथा बड़े पैमाने पर भवन निर्माण का कार्य करता है। अतः निर्विवाद रूप से मंडल के मकान सरसे पड़ते हैं।



Rajasthan RERA

Rajasthan Real Estate Regulatory Authority, Jaipur

2nd & 3rd Floor, RSIC Wing, Udyog Bhawan,
Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur-302005

Phone No.: 0141-2822778 Website : <http://rera.rajasthan.gov.in>

REGISTRATION CERTIFICATE OF PROJECT

This Certificate of registration is hereby granted under section 5 of the Real Estate(Regulation and Development) Act, 2016 to the following project:-

1. Project registration number: RAJ/P/2020/1310
2. Details of Project EWS 140 & LIG 25 Houses At Khoda Ganesh Road PhIV Kishangarh , at Khasra No.961/2 Village- Madanganj , Kishangarh , Ajmer , Ajmer - 305801 (Rajasthan)
3. Details of promoter: Name of the firm/society/company/competent authority RAJASTHAN HOUSING BOARD having its office address at "AWAS BHAWAN" , Jan Path, Jyoti Nagar, Jaipur-302005 Rajasthan INDIA , Jaipur , Jaipur (Rajasthan) - 302005
4. This registration is granted subject to the following conditions, namely:-
 - i. The promoter shall enter into an agreement for sale with the allottees as provided in Form-G;
 - ii. The promoter shall execute and register a conveyance deed in favour of the allottee for the apartment. Simultaneously he shall also execute and register the conveyance deed for the undivided proportionate title in the common areas to the association of the allottees or the competent authority, as the case may be, as per section 17 of the Real Estate(Regulation and Development) Act, 2016;
 - iii. The promoter shall deposit seventy percent of the amounts realised by the promoter in a separate, account to be maintained in a scheduled bank to cover the cost of construction and the land cost to be used only for that purpose as per subclause (D) of clause (1) of sub-section (2) of section 4 of the Real Estate(Regulation and Development) Act, 2016
 - iv. The registration shall be valid upto 31-12-2025 (Estimated Finish Date) unless extended by the Real Estate Regulatory Authority in accordance with section 6 of the Real Estate(Regulation and Development) Act, 2016 read with rule 7 of the Rajasthan Real Estate(Regulation and Development) Rules, 2017;
 - v. The promoter shall comply with the provisions of the Act and the rules and regulations made there under;
 - vi. The promoter shall not contravene the provisions of any other law for the time being in force in the area where the project is being developed.
5. If the above mentioned conditions are not fulfilled by the promoter, the Authority may take necessary action against the promoter including revoking the registration granted here in.
6. The Login Id and password for the purpose as provided under clause(a) of sub-section (1) or sub-section(2) of section 5 of the Real Estate(Regulation and Development) Act, 2016, as the case may be, is enclosed here with.
7. If Applicable, it is the responsibility of the promoter to obtain the necessary extension of the time period indicated in Form-B regarding "Date of Completion".

This bears approval of Chairman, Rajasthan Real Estate Regulatory Authority(RERA)





राजस्थान आवासन मण्डल अजमेर

पंजीकरण योजना वर्ष 2020

‘किशनगढ़ खोड़ा गणेश रोड फेज चतुर्थ पंजीकरण योजना’

आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग व अल्प वर्ग के स्वतंत्र आवासों हेतु

आवेदन पत्र की बिक्री/प्राप्ति व वरीयता निर्धारण का

कार्यक्रम

1. ऑफलाइन आवेदन-पत्र उपलब्ध : 01.9.2020 से 30.9.2020
2. ऑफलाइन आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की : 30.9.2020
अंतिम तिथि
3. योग्य आवेदकों की वरीयता निर्धारण हेतु अस्थाई सूची के प्रकाशन की तिथि एवं स्थान
4. अस्थाई सूची पर आक्षेप प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि
5. वरीयता निर्धारण हेतु योग्य आवेदकों की स्थाई सूची के प्रकाशन की तिथि एवं स्थान
6. वरीयता निर्धारण हेतु लॉटरी आयोजन की तिथि एवं स्थान

अन्तिम तिथि के पश्चात मण्डल की वेबसाईट www.urban.rajasthan.gov.in/rhb पर सार्वजनिक सूचना जारी की जावेगी।

सम्पर्क सूत्र

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता प्रथम
राजस्थान आवासन मण्डल जनपथ
ज्योति नगर, जयपुर
फोन नं. : 0141-2741950

उप आवासन आयुक्त, वृत्त-द्वितीय
राज.आ.मंडल, अग्रवाल फॉर्म,
मानसरोवर जयपुर
फोन नं. : 0141-2782772

आवासीय अभियन्ता
राजस्थान आवासन मण्डल,
वैशाली नगर, अजमेर
फोन नं. : 0145-2641894

विशेष: 1. रेरा पंजीकरण संख्या- RAJ/P/2020/ 1310

2. आवेदन पत्र रूपये 300+54 (18% जीएसटी) कुल 354 जमा करवाकर आवासीय अभियन्ता कार्यालय वैशाली नगर, अजमेर, नागरिक सेवा केन्द्र, राजस्थान आवासन मण्डल मुख्यालय जयपुर व ICICI Bank किशनगढ़ की शाखाओं से प्राप्त किये जा सकते हैं।

3. ऑनलाईन आवेदन पत्र मण्डल की वेबसाईट www.urban.rajasthan.gov.in/rhb से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं परन्तु इसके लिए पंजीकरण राशि के साथ 300+54=(18% जीएसटी) कुल 354 के डी.डी./पेय ऑर्डर अलग से संलग्न करना अनिवार्य है।

4. आवेदक को आय वर्ग अनुसार वांछित पंजीकरण राशि मय प्रोसेसिंग फीस के ICICI Bank खनिज उद्योग भवन शाखा, तिलक नगर, जयपुर के खाता संख्या 777705678221 IFSC Code- ICIC0006786 में अथवा किसी भी ICICI Bank शाखा में उपरोक्त खाते में जमा करवाकर मय चालान आवेदन पत्र कार्यालय आवासीय अभियन्ता खंड अजमेर वैशाली नगर, अजमेर में जमा करवाया जाना है



राजस्थान आवासन मण्डल

पंजीकरण योजना वर्ष 2020

‘किशनगढ़ खोड़ा गणेश रोड फेज चतुर्थ पंजीकरण योजना’

आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग व अल्प वर्ग के स्वतंत्र आवासों हेतु

राजस्थान आवासन मण्डल का गठन राज्य सरकार द्वारा आवासन मण्डल अधिनियम संख्या 4/1970 के अन्तर्गत वर्ष 1970 में राज्य में आमजन को सुलभ आवास उपलब्ध कराने हेतु किया गया था। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मण्डल वैज्ञानिक ढंग से कॉलोनियों का निर्माण कर स्वच्छ, स्वस्थ एवं उत्कृष्ट पर्यावरण में सभी आय वर्गों के लिए मकान उपलब्ध कराने के लिये कार्यरत है।

मण्डल का विशेष रूप से ध्यान आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग के लिए मकान उपलब्ध कराने पर केन्द्रित रहा है। यद्यपि यह कार्य काफी कठिन एवं चुनौतीपूर्ण है, फिर भी मण्डल द्वारा सदैव यह प्रयास रहा है कि वह ऐसे मकान बनाये जो हवादार हों, आरामदायक हों व जिनमें पानी, बिजली जैसी समस्त मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हों। मण्डल का यह भी प्रयास रहा है कि आवासों की कीमत तर्क संगत हो व संबंधित आय वर्ग के आवेदक की भुगतान क्षमता में हो।

पंजीकरण योजना वर्ष 2020

‘किशनगढ़ खोड़ा गणेश रोड फेज चतुर्थ पंजीकरण योजना’

किशनगढ़ शहर की आवास समस्या के निराकरण हेतु राजस्थान आवासन मण्डल समय समय पर विभिन्न आवासीय योजनाएँ यथा फेज प्रथम व द्वितीय की सफलता के बाद फेज चतुर्थ आवासीय योजना प्रारम्भ की गई है। इस आवासीय योजना का अनुमानित क्षेत्रफल 58.29 हैक्टर है। सम्पूर्ण एरिया को विभिन्न सैक्टरों में विभाजित किया गया है। इन सैक्टरों में जन साधारण की आवश्यकता के अनुरूप समस्त सुविधाएँ विभिन्न जगह पर उपलब्ध कराई जानी प्रस्तावित है। इस योजना में 1000 आवासीय निर्माण किया जा चुका है एवं लगभग 1743 आवास निर्मित किये जाने प्रस्तावित है तथा वर्तमान में निर्मित किये जाने वाले आवास का विवरण निम्नानुसार है:-

तालिका-1

आवासों की संख्या व आय वर्ग: एवं अनुमानित लागत-

क्र.सं.	आय वर्ग	अनुमानित संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	अनुमानित निर्मित क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	अनुमानित लागत लाख रूपये में
1.	अल्प आय वर्ग	25	72.00	27.84	8.60
2.	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आयवर्ग	140	44.00	21.085	5.50

नोट:-

- (I) आवासों का अनुमानित संख्या में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।
- (ii) उक्त तालिका में आवासों की केवल अनुमानित लागत ही बताई जा रही है जिसमें कमी अथवा बढ़ोतरी हो सकती है। चूंकि मण्डल आवासों का आवंटन “बिना लाभ बिना हानि सिद्धान्त” के आधार पर करता है। अतः मण्डल द्वारा आवास की अंतिम रूप से निर्धारित लागत ही मान्य होगी व इस हेतु आवंटनी का कोई आक्षेप मान्य नहीं होगा।

आवासीय योजना की विशेषताएँ:-

इस आवासीय योजना की प्रमुख स्थानों से दूरी निम्न है :-

1 रेल्वे स्टेशन	4.00 कि.मी
2 बस स्टैण्ड	7.00 कि.मी
3 राजकीय चिकित्सालय	3.00 कि.मी
4 हवाई अड्डा किशनगढ़	6.00 कि.मी.

पंजीकरण की पात्रता एवं शर्तें-

आवासों का आवंटन राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के अन्तर्गत तथा इस संबंध में समय-समय पर जारी नियमों, उपनियमों, एवं उपबंधों / परिपत्रों के अधीन निम्नानुसार किया जावेगा-

1. राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किसी भी वयस्क भारतीय नागरिक, जिसकी आवेदन भरने की तिथि को आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये, को आवासन मण्डल द्वारा आवेदित शहर में आवास का आवंटन किया जा सकता है।
- 2.(अ) आवेदक के पास आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी स्थायी खाता संख्या **PAN** होना चाहिए एवं आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उसका उल्लेख किया जाना चाहिए। (जहां लागू हो)
(ब) आवेदक के पास भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र "आधार कार्ड" (यू.आई.डी.) के नम्बर है तो आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उल्लेखित किये जाने चाहिए। (यदि प्राप्त कर लिये हो)
3. प्रस्तावित योजना में किसी संस्था / कम्पनी के नाम से भरा गया आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
4. यदि कोई पूर्व पंजीकृत आवेदक जिसे मण्डल द्वारा आवेदन की तिथि तक आवास का आवंटन नहीं किया है और यदि वह इस योजना में आवेदन करता है तो उसकी पूर्व निर्धारित वरीयता के आधार पर आवास आवंटन में प्राथमिकता दी जायेगी। इस बाबत आवेदक अपने पूर्व पंजीकरण एवं वरीयता क्रमांक का उल्लेख आवेदन फार्म में करेगा तथा शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करेगा कि उसका पूर्व पंजीकरण निरस्त नहीं किया गया है तथा न ही आवासन मण्डल द्वारा उसे कोई आवास आवंटित किया गया है।

5. मण्डल द्वारा आवासों के आवंटन में आरक्षित कोटे का प्रावधान निम्नांकित श्रेणियों/वर्गों के लिए उनके समक्ष अंकित प्रतिशत के अनुसार होगा:-

आवासन मण्डल द्वारा इस योजना में आवासों के आवंटन में आरक्षित कोटा निम्नानुसार होगा:-

मण्डल द्वारा विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं को देखते हुए निर्मित मकानों के आवंटन में आरक्षण का प्रावधान निम्नानुसार किया गया है :-

तालिका-2

क्र. सं.	वर्ग	आवेदक की श्रेणी	आरक्षण का प्रतिशत
1	जी-1	वैतनिक श्रेणी-प्रथम (केन्द्र सरकार के कर्मचारी तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के बोर्ड/निगम के कर्मचारी / प्राईवेट सेक्टर में कार्यरत कर्मचारी)	18.00 प्रतिशत
		वैतनिक श्रेणी-द्वितीय (राज्य सरकार के कर्मचारी, अधिकारी)	10.00 प्रतिशत
2	जी-2	अवैतनिक श्रेणी अवैतनिक श्रेणी-प्रथम (G-2-I) -सामान्य	29.00 प्रतिशत
		अवैतनिक श्रेणी-द्वितीय (G-2-II) -प्रोफेशनल श्रेणी केवल प्रोफेशनल एडवोकेट, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एवं प्राईवेट डॉक्टर्स	05.00 प्रतिशत
3	जी-3	आवासन मण्डल कार्मिक (बोर्ड कर्मचारी)	01.00 प्रतिशत
4	जी-4	अनुसूचित जाति	16.00 प्रतिशत
5	जी-5	अनुसूचित जन जाति	12.00 प्रतिशत
6	जी-6	वर्तमान एवं भूतपूर्व विधायक/सांसद / अधिस्वीकृत पत्रकार	1.5 प्रतिशत
7	जी-7	स्वतन्त्रता सेनानी	05.00 प्रतिशत
8	जी-8	भूतपूर्व सैनिक एवं सैनिकों की विधवाएँ	03.00 प्रतिशत
9	जी-9	विकलांग (अंधता, शारीरिक विकलांग, मूक बधिर)	01.00 प्रतिशत 01.00 प्रतिशत 01.00 प्रतिशत
10	जी-10	वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिक एवं ऐशियाड/ ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाड़ी	01.00 प्रतिशत
		योग	100.00 प्रतिशत

नोट:- अ. श्रेणीवार आरक्षित कोटा निर्धारण हेतु आवश्यक प्रमाण-पत्र/शपथ-पत्र अनिवार्य है अन्यथा आवेदक का पंजीकरण अवैतनिक श्रेणी प्रथम में मान लिया जायेगा।

- ब. यदि उपरोक्त तालिका की कम संख्या 1 से 10 में दर्शित वर्ग के आवेदकों के पर्याप्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होते हैं तो अन्य श्रेणी आवेदकों के आवास गैर वेतन भोगी वर्ग (जी2-1) के लिए अन्तरित कर दिये जायेंगे।
- स. आरक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए यदि एक भी आवास उस आरक्षित श्रेणी में आवंटन हेतु उपलब्ध न होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदन पत्र को सामान्य श्रेणी अवैतनिक वर्ग के आवेदकों की (जी2-1) में सम्मिलित किया जावेगा।
- द. प्राइवेट सेक्टर में उन्हीं कार्मिकों को शामिल किया जायेगा जिनकी भविष्य निधि की कटौती उनके संस्थान द्वारा की जाती है तथा संस्थान द्वारा स्थाई वैतनिक होने का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है एवं कार्मिक द्वारा आयकर विवरणी का ब्यौरा संस्थान / विभाग को प्रस्तुत किया जाता है।
6. "आरक्षित श्रेणियों अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप से विकलांग/युद्ध में शहीद हुए सैनिक की विधवाओं/भूतपूर्व सैनिक/विधायक/सांसद/अधिस्वीकृत पत्रकार/स्वतंत्रता सैनानी/शौर्य पुरस्कार प्राप्त सैनिक/ऐशियाड/ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाड़ी आदि के द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचना अनुसार अपेक्षित प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति के साथ शपथ-पत्र नवीनतम फोटो के साथ प्रस्तुत करना होगा।"
7. यदि वर्तमान एवं कालान्तर में आवेदक के द्वारा दिये गये दस्तावेज/सूचनाएँ गलत, झूठी अथवा असत्य पाई जाती है तो उस आवेदक का पंजीकरण/आवंटन तथा उसके क्रम में की गई समस्त कार्यवाही, बिना कोई कारण बताओं नोटिस जारी किये निरस्त कर दी जावेगी तथा मण्डल के प्रचलित नियमों अनुसार कटौती करते हुए शेष राशि लौटा दी जायेगी।
8. पंजीकरण राशि निम्नानुसार आवेदन पत्र के साथ देय है। जिसका विवरण निम्नांकित सारणी के अनुसार है

तालिका 3

क्र सं	आयवर्ग	वार्षिक आय (रुपये में)	पंजीकरण राशि	प्रोसेसिंग फीस (रुपये में)	कुल जमा योग्य राशि (रुपये में)
1.	अर्थिक दृष्टि से कमजोर आयवर्ग	300000 / — तक	7000.00+12% अर्थात् कुल राशि 7840	500.00 +18% अर्थात् कुल राशि 590	8430.00
2.	अल्प आय वर्ग	300001 / — से 600000 / — तक	15000.00+12% अर्थात् कुल राशि 16800	700.00 +18% अर्थात् कुल राशि 826	17626.00

9. आवासों का आवंटन नगद भुगतान/ किराया क्रय पद्धति के आधार पर किया जावेगा। निर्मित आवासों में 45 प्रतिशत आवास नगद भुगतान तथा 55 प्रतिशत किराया क्रय पद्धति पर आवंटित किये जायेंगे।
10. नगद भुगतान पद्धति से आवंटित होने पर उसे किराया क्रय पद्धति में परिवर्तित नहीं किया जायेगा।
11. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के आवेदक उपरोक्तानुसार निर्धारित पंजीकरण राशि की आधी राशि जमा करा सकते हैं।
12. वर्तमान/ भूतपूर्व सैनिक एवं उनकी वीरागंनाओं को पंजीकरण राशि का 10 प्रतिशत जमा करना होगा।
13. राजस्थान आवासन मंडल की आवासीय योजनाओं में आय वर्ग के आवेदकों के पंजीकरण हेतु राजस्थान आवासन मंडल द्वारा किए जाने वाले प्रशासनिक व्यय के दृष्टिगत नवीन पंजीकरण की प्रोसेसिंग फीस आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के आवेदक हेतु राशि रुपये 500 / - + 18 प्रतिशत एवं अल्प आय वर्ग के आवेदक हेतु राशि रुपये 700 / - + 18 प्रतिशत राशि देय प्रोसेसिंग फीस का किसी भी आवेदक को पुर्नभुगतान/ समायोजन नहीं किया जाएगा।
14. इस योजना में कुल प्राप्त आवेदन पत्रों में वर्गानुसार विकल्पानुसार उपलब्ध आवासों की संख्या के बराबर सफल आवेदकों की लॉटरी द्वारा वरीयता निर्धारित कर दी जाएगी लॉटरी के पश्चात से असफल रहे आवेदकों को उनकी जमा पंजीकरण राशि बिना ब्याज आवेदन पत्र में अंकित बैंक खाता संख्या में लौटा दी जाएगी।
15. सामान्य एवं विशिष्ट पंजीकरण योजना के आवासों हेतु पूर्व ग्रहण राशि जमा कराने के प्रावधान निम्नानुसार हैं विवरण तालिका -4 अनुसार है:-

आवास आवंटन से पूर्व आवेदकों को अपने आय वर्ग के अनुसार आवास आरक्षित करने हेतु पूर्वग्रहण राशि तीन किस्तों में जमा करानी होती है प्रथम किस्त पूर्वग्रहण राशि पत्र जारी होने की तारीख से एक माह के अंदर एवं दूसरी किस्त उसी पत्र के जारी होने की तारीख से 4 माह के अंदर तथा तीसरी किस्त का भुगतान सूची पत्र के जारी होने की तारीख से 7 माह के अंदर आवास आवंटन के समय जो भी पहले हो जमा करानी पड़ती है।

तालिका-4

क्र. सं.	आय वर्ग	पूर्वग्रहण राशि किस्त (रुपये में)			
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय	योग
1.	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	5000	5000	5000	15000
2.	अल्प आयवर्ग	10000	10000	10000	30000

16. आरक्षण पत्र के अनुसार प्राप्त की जाने वाली किस्त की राशि पर निम्नानुसार जीएसटी की राशि अलग से देय होगी।

17. आवेदकों को **बिंदु संख्या 15** के अनुसार जारी किए जाने वाले आरक्षण पत्र अनुसार निर्धारित तिथि तक वांछित किस्त की राशि जमा करानी होगी विलंब से जमा की जाने वाली किस्त की राशि पर आवेदक द्वारा 12 प्रतिशत वार्षिक दर से शास्ति/ ब्याज देना होगा।
18. इस योजना में कुल प्राप्त आवेदन पत्रों में से वर्गानुसार विकल्पानुसार प्रत्येक आय वर्ग में उपलब्ध आवासों की संख्या के बराबर सफल आवेदकों की लॉटरी द्वारा वरीयता निर्धारित कर दी जायेगी। लॉटरी के पश्चात शेष असफल रहे आवेदकों को उनकी जमा पंजीकरण राशि का रिफण्ड (बिना ब्याज) रेखांकित चैक से उनके आवेदन पत्र में अंकित पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेज दिया जायेगा।
19. रिफण्ड
- (i) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात तथा वरीयता लॉटरी के आयोजन से पूर्व यदि कोई आवेदक योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से कोई कटौती नहीं करते हुए पंजीकरण राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।
- (ii) योजना की वरीयता लॉटरी के आयोजन के पश्चात पूर्वग्रहण राशि पत्र जारी करने से पूर्व यदि कोई आवेदक इस योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से 5 प्रतिशत की कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।
- (iii) यदि आवेदक पूर्वग्रहण राशि का पत्र जारी होने के पश्चात राशि लौटाने का निवेदन करता है तो पंजीकरण राशि का 20 प्रतिशत कटौती करते हुए राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।
20. प्रस्तावित योजना यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से मूर्तरूप नहीं ले पाती है तो ऐसी स्थिति में आवेदकों को उनकी पंजीकरण राशि 6 प्रतिशत सामान्य ब्याज सहित लौटा दी जायेगी।
21. आवास आवंटन लॉटरी के कार्यक्रम की घोषणा समाचार पत्रों के माध्यम से की जायेगी। इसमें आवेदक द्वारा आरक्षण राशि की देय किश्तें जमा करवाकर चालान की प्रतियां कार्यक्रम की निर्धारित अवधि में कार्यालय में प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को वरीयता क्रमानुसार आवंटन लाटरी में सम्मिलित किया जायेगा।
22. मण्डल निर्मित आवासों की वास्तविक लागत कार्य पूर्ण होने के पश्चात निर्धारित करने हेतु पूर्णतः स्वतंत्र है एवं इस संबंध में मण्डल का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
23. किराया क्रय पद्धति से आवास आवंटित होने पर तथा आवास का कब्जा नहीं लिये जाने की स्थिति में यदि कोई आवंटी चाहे तो वह भुगतान पद्धति को नगद भुगतान में परिवर्तित करवा सकता है। इस बाबत आवंटी को आवंटन पत्र जारी होने की दिनांक से 6 माह के अन्दर आवेदन करना होगा। संशोधित आवंटन-पत्र पूर्व में जारी आवंटन पत्र के निरन्तर क्रम में जारी किया जायेगा तथा उसकी जारी करने की तिथि पूर्व में जारी पत्र की ही मान्य होगी एवं आवास की एक मुश्त (नकद भुगतान) राशि नियत उक्त छः माह की अवधि में ही नियमानुसार शास्ती/ ब्याज सहित जमा करानी होगी। उक्त अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात आवंटित आवास की कार्यवाही किराया क्रय पद्धति के अनुरूप ही की जायेगी। नकद भुगतान पद्धति से आवास आवंटित होने पर उसे किराया क्रय पद्धति में परिवर्तित नहीं किया जावेगा।

24. आवेदक को लॉटरी द्वारा आवास आवंटित किये जाने के पश्चात आवास की देय बकाया राशि जमा कराने हेतु आवंटन-पत्र द्वारा सूचित किया जावेगा। उक्त आवंटन पत्र की मांग राशि जमा कराने के लिये समयावधि मण्डल द्वारा नियमानुसार प्रदान की जावेगी। निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं कराने पर नियमानुसार कार्यवाही कर आवास का पंजीकरण एवं आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा तथा नियमानुसार कटौती करते हुए शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।
25. पूर्वग्रहण राशि पत्र के मांग पत्र के अनुसार प्रथम किस्त की राशि जमा कराने वाले आवेदकों को देख-रेख योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य की प्रगति के दौरान ही आवासों का आवंटन कर दिया जायेगा, जिससे आवेदक अपने आवास के निर्माण का निरीक्षण स्वयं भी कर सके।
26. मण्डल के वर्तमान प्रावधानों के अनुरूप आवास के आवंटन पत्र में अन्य वर्णित विविध खर्चे देय होंगे जिनका आवासों की लागत (विक्रय मूल्य) में समावेश नहीं किया गया है। ऐसे खर्चे निम्न प्रकार के होंगे:—
- क. लीज राशि : यह राशि भूमि की कुल कीमत पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से वसूलनीय होगी।
- ख. किराया क्रय अग्रिम जमा राशि : यह राशि जो कि आवास की कुल कीमत का 5 प्रतिशत है, मण्डल के पास धरोहर के रूप में जमा रहेगी और आवंटी द्वारा विभिन्न बकाया राशि समय पर जमा न कराने की दशा में जब्त की जा सकती है। यह राशि किराया क्रय अवधि के संतोषप्रद रूप से पूर्ण हो जाने पर समायोजित/लौटा दी जावेगी।
- ग. अन्य खर्चे :
- (i) निर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक अतिरिक्त भूमि व कॉर्नर आवासों के लिए 242वीं बोर्ड बैठक में अतिरिक्त भूमि की दर भी आवंटन पत्र की दर से लिये जाने का प्रावधान किया है नियमानुसार अतिरिक्त राशि वसूल की जायेगी।
- (ii) अन्य विविध खर्चे जो कि मण्डल समय-समय पर निर्धारित करें।
27. मंडल के आवास केवल रिहायशी प्रयोजन हेतु उपयोग में लिये जावेंगे। आवास में आवंटी किसी प्रकार का वाणिज्यिक निर्माण नहीं करा सकेगा और न ही वाणिज्यिक उपयोग करेगा। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर आवास का आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।
28. सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के नियम संख्या 17 व 18 में अभिकथित संबंधित विभागों द्वारा मांग किये जाने पर आवंटी को संपत्ति पर समस्त करों का भुगतान करना होगा जैसे आवास सम्पत्ति कर, नगर निगम कर, विकास कर इत्यादि। इसके अतिरिक्त योजना के निवासियों की पंजीकृत सोसायटी द्वारा निर्धारित नियम व शर्तों की पालना करनी होगी, साथ ही सोसायटी द्वारा निर्धारित सदस्यता शुल्क व अन्य शुल्क आवंटी को वहन करने होंगे।
29. यदि आवेदक, शपथ पत्र/आवेदन पत्र में कोई गलत सूचना देता है या कोई तथ्य छिपाता है तो उसका पंजीकरण तुरन्त रद्द कर दिया जावेगा। यदि आवास का आवंटन हो गया हो तो भी मंडल ऐसे आवंटन को रद्द करने तथा आवास का कब्जा वापस लेने के लिए सक्षम होगा। आवेदक की जमा राशियों में से नियमानुसार पंजीकरण राशि जब्त करते हुए शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।

30. किसी नुकसान के होने से या वस्तुओं के चोरी चले जाने से बचने की दृष्टि से, निम्नांकित फिटिंग/फिक्सचर आदि का कार्य आवासन मंडल द्वारा आवंटी को कब्जा देने की वास्तविक तारीख से एक माह के भीतर पूर्ण कर दिया जायेगा :-
1. विद्युत/फिटिंग/फिक्सचर
 2. सेनेटरी फिटिंग
 3. अंतिम पुताई यदि कब्जा देने से पूर्व नहीं की गई हो।
31. मण्डल अपनी योजनाओं/आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन कर सकता है जिसके परिणामस्वरूप यदि कोई अतिरिक्त कार्य करवाया जाता है तो ऐसा व्यय आवंटी को वहन करना होगा। विशेष परिस्थितियां उत्पन्न होने पर अथवा किन्ही अपरिहार्य कारणों से मण्डल योजना में प्रस्तावित सेक्टरों में मकान/फ्लेट नहीं देने की स्थिति में उसी शहर के अन्य योजनाओं में मकान/फ्लेट उपलब्ध करवाने के लिए मण्डल स्वतंत्र होगा तथा इसी विषय में आवंटी का कोई विवाद स्वीकार्य नहीं होगा। आवंटित किये जाने वाले मकान/फ्लेट प्रस्तावित डिजाईन/स्पेशिफिकेशन आदि में परिवर्तन किये जाने का मण्डल को पूर्ण अधिकार होगा।
32. पंजीकरण/आरक्षण/आवंटन मण्डल द्वारा बनाये गये नियमों/आदेशों/ उप-बन्धों/परिपत्रों के तहत होगा। मंडल अपने द्वारा बनाये गये नियमों, आदेशों तथा परिपत्रों को बनाने/परिवर्तन करने के लिए पूर्णतः सक्षम होगा और ये पंजीकृत आवेदकों के लिए पूर्णतया लागू होंगे।
33. सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के नियम 19 के अनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि आवंटी को स्वयं सम्पत्ति की परिस्थितियों से पूर्णतः परिचित होना चाहिये और बाद में किसी आगामी **Stage** पर सम्पत्ति की परिस्थितियों के संबंध में शिकायत करने, आपत्ति उठाने या मांग करने का अधिकार नहीं होगा।
34. पंजीकरण की राशि बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक द्वारा जमा की जायेगी। बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक का पूर्ण विवरण अर्थात् संख्या, दिनांक तथा संबंधित बैंक जिससे बैंकर चैक/ड्राफ्ट प्राप्त किया गया है, चालान में निर्धारित स्थान पर अंकित किया जावे। बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक "राजस्थान आवासन मण्डल, किशनगढ़" के पक्ष में देय होना आवश्यक है। आवेदन-पत्र, संलग्न चालान, बैंक ड्राफ्ट तथा वांछित दस्तावेजों सहित डाक या स्वयं के द्वारा सेन्टल बैंक ऑफ इण्डिया, किशनगढ़ के पते पर निर्धारित दिनांक तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् पंजीकरण आवेदन फार्म स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 35.(अ) आवेदक अपने पत्राचार के पते में परिवर्तन की सूचना संबंधित आवासीय अभियन्ता, खण्ड अजमेर कार्यालय के पते पर देवें। पते में परिवर्तन की सूचना नही देने के कारण अथवा आवेदक की गलती से पत्र आवेदक को प्राप्त नहीं होने की दशा में मंडल द्वारा कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी। पता परिवर्तन कराते समय वांछित दस्तावेजों की छायाप्रतियों के साथ पूर्ण वरीयता क्रमांक अवश्य लिखें। आवासन मण्डल द्वारा पता परिवर्तन की स्वीकारोक्ति के पश्चात ही पता परिवर्तन मान्य होगा। अतः आवेदक को परामर्श है कि इस संबंध में आवासन मण्डल से सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित कार्यालय से पता परिवर्तन किए जाने की जानकारी प्राप्त कर लेवें।
- (ब) आवेदक द्वारा ऐसे स्थान जहां सामान्य जन का प्रवेश वर्जित हो, का पता अंकित करने की स्थिति में मण्डल द्वारा जारी पत्राचार प्राप्ति में होने वाले विलम्ब अथवा पत्राचार प्राप्त नहीं होने के लिए मण्डल उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आवेदकों को परामर्श है कि वह समय-समय पर मण्डल के संबंधित कार्यालय के सम्पर्क करते रहें तथा समाचार पत्रों व मण्डल की वेबसाईट www.rhbonline.rajasthan.gov.in, www.urban.rajasthan.gov.in/rhb के द्वारा भी जानकारी प्राप्त कर लेवें।

36. वित्तीय सुविधायें : आवासन मण्डल से मकान लेने वाले आवेदक/आवंटी वित्तीय संस्थाओं से ऋण ले सकते हैं। इस बाबत मण्डल द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र/त्रिपक्षीय अनुबंध पत्र जारी किए जाएंगे।
37. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ स्वयं एवं निवास के पते का प्रमाण यथा- आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेन्स, राशन कार्ड, बिजली, पानी, टेलीफोन बिल, बैंक पास बुक अथवा अन्य कोई मान्य फोटो युक्त दस्तावेज में से (वांछित दस्तावेजों की) एक-एक स्व-हस्ताक्षरित/सत्यापित प्रति संलग्न करना होगा।
38. आवेदन पत्र के कॉलम संख्या 7 में आवेदक द्वारा केवल पत्र व्यवहार का पता अंकित किया जाए तथा आवेदन पत्र पर केवल उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए, जो इस योजना के अन्तर्गत आवास लेना चाहता है।
39. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में भुगतान पद्धति स्पष्ट इंगित की जानी चाहिए यदि नहीं करता है तो उसे क्रिराया क्रय पद्धति के अन्तर्गत माना जावेगा।
40. आवेदन पत्र में किसी विवरण को हटाने, मिटाने या उसके ऊपर काटकर दुबारा लिखना निषेधित है। अतः आवेदन कर्ताओं को परामर्श है कि आवेदन पत्र को भरते वक्त पूर्ण सावधानी बरतें तथा उपरोक्त स्थित में आवेदक स्वयं पूर्ण हस्ताक्षर करें।
41. मण्डल द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार करते समय समस्त आवेदकों की पात्रता की जांच किया जाना सम्भव नहीं है। अतः मिथ्या कथन, तथ्यों को छुपाने अथवा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर कालान्तर में यदि आवेदक पंजीकरण हेतु अपात्र पाया जाता है, तो उस आवेदक का पंजीकरण आवेदन/आवंटन तथा उसके क्रम में की गई समस्त कार्यवाही, बिना कोई कारण बताओं नोटिस जारी किये निरस्त कर दी जावेगी तथा मण्डल के प्रचलित नियमानुसार पंजीकरण राशि जब्त करते हुए शेष राशि लौटा दी जायेगी।
42. मण्डल द्वारा समय समय पर मांगे गये शपथ पत्र/वचनबद्धता/अन्य आवेदन/अन्य प्रपत्र इत्यादि स्व हस्ताक्षरित हो एवं आवेदक द्वारा उन पर अपना नवीनतम फोटो चस्पा करते हुए उन्हें नियमानुसार राजपत्रित अधिकारी/नोटरी पब्लिक से सत्यापित कर प्रस्तुत करना होगा।

महत्वपूर्ण बिन्दु:

- i.** इस योजना में आवेदन करने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक हो तथा आवेदन के समय आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम न हो।
- ii.** दो आरक्षित वर्गों के लिए योग्यता रखने वाले आवेदकों को किसी भी एक आरक्षित वर्ग के अन्तर्गत पंजीकरण कराने का आवेदन पत्र में उल्लेख करना अनिवार्य होगा तथा पंजीकरण राशि उसी के अनुरूप जमा करानी होगी।
- iii.** आवेदन-पत्र में आवेदक ने आय के स्वरूप वाले कॉलम में वैतनिक अथवा अवैतनिक का उल्लेख नहीं किया तो वेतन प्रमाण-पत्र के अभाव में आवेदक को अवैतनिक श्रेणी में माना जावेगा।
- iv.** अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के आवेदकों को आरक्षित श्रेणी तथा पंजीकरण राशि में छूट का लाभ लेने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- v** "आरक्षित श्रेणियों अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप से विकलांग/युद्ध में शहीद हुए सैनिक की विधवाओं/भूतपूर्व सैनिक/विधायक/सांसद/अधिस्वीकृत पत्रकार/स्वतंत्रता सैनानी/शौर्य पुरस्कार प्राप्त सैनिक/ऐशियाड/औलम्पिक पदक प्राप्त खिलाड़ी आदि के द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचना अनुसार अपेक्षित प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति के साथ शपथ-पत्र नवीनतम फोटो के साथ प्रस्तुत करना होगा।

- vi.** आवेदन पत्र में उत्तराधिकारी का मनोनयन पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहिन, पुत्र/पुत्री, पौत्र/पौत्री एवं पुत्रवधु में से ही किया जा सकेगा।
- vii.** इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत आवेदक अन्य योजना व शहर में स्थानान्तरण नहीं करवा सकेंगे।
- viii.** आवास आवंटन/कब्जे के बाद आवास का रख-रखाव स्वयं आवंटी द्वारा किया जायेगा।
- ix.** योजना के तहत कोई भी न्यायिक विवाद अजमेर शहर की सीमा के अन्तर्गत ही होंगे।
- x.** आवासन मण्डल की योजना में राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निष्पादन विनियम 1970 के प्रावधान मान्य होंगे।

XI. इस योजना में निर्धारित आयवर्ग से दो आयवर्ग उपर अथवा दो आयवर्ग नीचे के आवेदक भी मण्डल नियामनुसार आवेदन कर सकेंगे। इस स्थिति में वरीयता निर्धारण हेतु मूल आयवर्ग के आवेदक को प्रथम वरियता तथा मूल आयवर्ग के उपर के आयवर्ग के आवेदकों को द्वितीय वरियता तथा मूल आयवर्ग से नीचे के आयवर्ग के आवेदक को तृतीय वरीयता दी जायेगी;

XII. आवेदन पत्र रूपये 300+54 (18% जीएसटी) कुल 354 जमा करवाकर आवासीय अभियन्ता कार्यालय वैशाली नगर, अजमेर, नागरिक सेवा केन्द्र, राजस्थान आवासन मण्डल मुख्यालय जयपुर व ICICI Bank किशनगढ की शाखाओं से प्राप्त किये जा सकते है।

ऑनलाईन आवेदन पत्र मण्डल की वेबसाईट www.urban.rajasthan.gov.in/rhb से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं परन्तु इसके लिए पंजीकरण राशि के साथ 300+54=(18% जीएसटी) कुल 354 के डी.डी./पेय ऑर्डर अलग से संलग्न करना अनिवार्य है।

आवेदक को आय वर्ग अनुसार वांछित पंजीकरण राशि मय प्रोसेसिंग फीस के ICICI Bank खनिज उद्योग भवन शाखा, तिलक नगर, जयपुर के खाता संख्या 777705678221 IFSC Code- ICIC0006786 में अथवा किसी भी ICICI Bank शाखा में उपरोक्त खाते में जमा करवाकर मय चालान आवेदन पत्र कार्यालय आवासीय अभियन्ता खंड अजमेर वैशाली नगर, अजमेर में जमा करवाया जाना है

आवेदक का
फोटो

सभी आवेदकों के लिए

शपथ पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्रीआयु.....वर्ष,
जाति..... निवासीएतद्वारा सशपथ
घोषणा करता/करती हूँ कि:-

1. मैं भारत का/की नागरिक हूँ।
2. यह कि मेरा आवेदन स्वीकार होने पर मैं आवासन मण्डल द्वारा समय-समय पर मांग की गई राशियां जमा नहीं करता हूँ तो आवासन मण्डल बिना किसी सूचना के मेरा पंजीकरण/आवंटन निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार रहूंगा।
3. यह कि मैं इस योजना के निवासियों की पंजीकृत सोसायटी का सदस्य रहूंगा तथा सोसायटी के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करूंगा/करूंगी।
4. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त कथन तथा आवेदन पत्र में दिये गये सभी तथ्य में कोई मिथ्या कथन नहीं किया गया है तथा ना ही कोई तथ्य छिपाया गया है, ना ही किसी प्रकार का छल या कपट किया गया है। भविष्य में ऐसी कोई बात मण्डल के संज्ञान में आती है तो आवेदन पत्र/आवंटन को निरस्त करने के साथ मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने लिए मण्डल स्वतंत्र होगा।

हस्ताक्षर शपथ गृहिता

सत्यनिष्ठा

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी
..... सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त पेटा 1 से 4 में जो
तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं, वे मेरी निजी जानकारी में पूर्णतया सत्य है, मैंने कोई भी तथ्य छिपाया नहीं है। ईश्वर मेरा
सहायक है

शपथ गृहिता
हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

(शपथ पत्र 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर नोटेरी पब्लिक
अथवा प्रथम श्रेणी दण्डनायक/कार्यपालक दण्डनायक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए)

गैर वेतन भोगी आवेदकों के लिए
आय प्रमाण-पत्र हेतु शपथ-पत्र
(आवश्यक नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर)

शपथ पत्र

मैं पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री आयु.....
जाति निवासी
(अनुसूचित जाति / जनजाति यदि है तो अंकित करें) सशपथ बयान करता / करती हूँ:-

1. कि मेरे परिवार की वर्ष 2019- 2020 में वार्षिक आय समस्त स्रोतों से निम्न प्रकार थी:-
 - अ. स्वयं की आय, व्यापार, उद्योग, एजेन्सी, कृषि उद्योग दुकान या अन्य स्रोतों से
रुपये थी।
 - ब. मेरे पति / पत्नी, अवयस्क पुत्र / पुत्री / दत्तक पुत्र / दत्तक पुत्री की व्यापार, उद्योग, एजेन्सी
दुकान अथवा कृषि उद्योग एवं अन्य स्रोतों से वार्षिक आय रुपये थी।
 - स. यह कि वित्तीय वर्ष 2019-2020 में मेरे परिवार की कुल आमदनी रुपये थी।

शपथ गृहिता
हस्ताक्षर / निशानी अंगूठा

सत्यापन

मैं पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री जाति
..... निवासी सत्यनिष्ठा से घोषणा
करता / करती हूँ कि उपरोक्त तथ्य मेरी जानकारी में है एवं सत्य हैं मैंने कोई भी तथ्य छिपाया
नहीं है। ईश्वर मेरा सहायक है

शपथ गृहिता
हस्ताक्षर / निशानी अंगूठा

(उपरोक्त शपथ-पत्र 50/- रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर आवेदक द्वारा नोटेरी
पब्लिक / प्रथम श्रेणी दण्डनायक / कार्यपालक दण्डनायक अधिकारी अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा
प्रमाणित होना चाहिए, तथा आवेदक द्वारा मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ ही आय के स्रोत अथवा उनके
स्वामित्व की कृषि भूमि से प्राप्त आय की विवरणिका शामिल किया जाना आवश्यक है)

वेतन भोगी आवेदकों के लिए

आय प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्रीइस विभाग/उपक्रम/कम्पनी/संस्था (विभाग/संस्था का नाम) में..... पद पर कार्यरत हैं एवं ये (केन्द्र/राजस्थान सरकार अथवा केन्द्र/राजस्थान सरकार के उपक्रम/प्राइवेट सेक्टर के) नियमित कर्मचारी हैं। इनकी वर्ष 2019-20 की सकल वार्षिक आय रुपये है।

क्रमांक/दिनांक

विभागाध्यक्ष
के हस्ताक्षर मय मोहर
विभाग/उपक्रम/प्राइवेट सेक्टर का नाम

अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी.....जिलासंभाग...
.....राज्यजातिके सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति/जनजाति (सूची) संशोधन अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति में हैं।

हस्ताक्षर
तहसीलदार
(कार्यालय की मोहर सहित)

अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... निवासी ग्राम..... जिला ..
..... अधिस्वीकृत पत्रकार है। इनका पत्र/पत्रिका (नाम)
..... नियमित रूप से प्रकाशित होता/होती है।

हस्ताक्षर
सक्षम अधिकारी
सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय

भूतपूर्व सैनिकों के लिए/सैन्य विधवा प्रमाण पत्र

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमतीपुत्र/पुत्री/पत्नी स्व.
श्री.....निवासी.....
.... सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक है/युद्ध में शहीद सैनिक की विधवा है/युद्ध में हताहत हुए विकलांग
सैनिक है।

सचिव
राज्य/जिला सैनिक कल्याण बोर्ड

(यह प्रमाण पत्र केवल भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवा आवेदकों को संलग्न करना अनिवार्य
है।)

स्वतंत्रता सेनानियों के लिए

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती
पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री..... निवासी जिला
..... स्वतंत्रता सेनानी है। इन्हें वर्ष में राज्य सरकार द्वारा ताम्र-पत्र / प्रमाण-पत्र
प्रदान किया गया है।

हस्ताक्षर
जिलाधीश / उप सचिव / सहायक सचिव
(सामान्य प्रशासन विभाग)
राजस्थान सरकार, जयपुर

प्रमाण-पत्र

शौर्य पदक प्राप्त सैनिकों के लिए

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती
पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री..... निवासी ने
वर्ष में निम्नलिखित शौर्य पदक प्राप्त किये।

1.
2.
3.

सचिव
राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड

राजस्थान के विधायकों/सांसदों के लिए

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र/लोकसभा
क्षेत्र/राज्यसभा से विधानसभा/लोकसभा/राज्यसभा के सत्र के सदस्य हैं।

हस्ताक्षर
महासचिव/सचिव
लोकसभा/राज्यसभा/विधानसभा सचिवालय

भूतपूर्व विधायकों/सांसदों के लिए

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... विधानसभा क्षेत्र/लोकसभा क्षेत्र/राज्यसभा, जिला
..... से सत्र में सदस्य रहे हैं एवं भूतपूर्व विधायक/सांसद हैं।

हस्ताक्षर
महासचिव/सचिव
लोकसभा/राज्यसभा/विधानसभा सचिवालय

राजस्थान आवासन मंडल अजमेर

सामान्य पंजीकरण योजना 2020

‘किशनगढ़ खोड़ा गणेश रोड फेज चतुर्थ पंजीकरण योजना’

आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग अल्प आय वर्ग के स्वतंत्र आवासों हेतु
आवेदन पत्र

क्र. सं.	आवेदन पत्र आवेदन प्राप्त होने के पश्चात कार्यालय द्वारा चेक किए गए बिंदु	आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् कार्यालय द्वारा चैक किए गए बिन्दु
1.	क्या आवेदक का नाम /पिता का नाम अंकित है ?	हाँ/नहीं
2.	क्या आवेदक द्वारा अपना हाल ही में खींचवाया गया फोटों यथस्थान चिपकाया है ?	हाँ/नहीं
3.	क्या आवेदक के फोटो पहचान-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न है (आवेदन पत्र में दिए विवरणानुसार)	हाँ/नहीं
4.	क्या आवेदक के पते के प्रमाण स्वरूप दस्तावेज संलग्न है (आवेदन पत्र में दिए विवरणानुसार)	हाँ/नहीं
5.	क्या आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के अनुसार पैनकार्ड के प्रति संलग्न की है?	हाँ/नहीं
6.	क्या आय वर्ग आवेदक की आय के अनुसार सही दर्शाया गया है ?	हाँ/नहीं
7.	क्या आय वर्ग प्रमाण पत्र संलग्न किया है?	हाँ/नहीं
8.	क्या आवेदक आरक्षित आय वर्ग में आता है?	हाँ/नहीं
9.	क्या आरक्षित वर्ग के लिए प्रमाण पत्र संलग्न है?	हाँ/नहीं
10.	क्या पंजीकरण राशि जमा है?	हाँ/नहीं
11.	क्या पंजीकरण राशि आय वर्ग के अनुसार सही है ?	हाँ/नहीं
12.	क्या वांछित राशि का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न है?	हाँ/नहीं

आवेदक के हस्ताक्षर

कार्यालय उपयोग हेतु



1. आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया एवं आवेदक द्वारा उपरोक्तनुसार विवरण सही पाया गया।
2. आवेदक का ग्रुप है - सामान्य / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति / विकलांग / पुरस्कृत / पदक
3. आवेदक द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार आवेदन पत्र योग्य /अयोग्य पाया गया
4. अन्य टिप्पणी.....

क. सहायक /सहायक

कार्यालय अधीक्षक

स.आवेदन अधिकारी /संपदा प्रबंधक

L.I.G.




GROUND FLOOR PLAN

Const. Area

Future Area

Plot Area- 72.00 Sqm.
Plinth Area- 27.84 Sqm.

E.W.S.



GROUND FLOOR PLAN

Constd. Area Future Area Plot Area- 44.00 Sqm.
Plinth Area- 21.085 Sqm.

Complimentary Copy

मूल्य : 300+54(GST)
कुल : 354.00 रु./-



राजस्थान आवासन मण्डल, अजमेर
कार्यालय : आवासीय अभियन्ता, खण्ड अजमेर

RERA REG. No. RAJ RERA APP 2020/1310 dt. 07.08.2020

पंजीकरण योजना वर्ष 2020

‘खोड़ा गणेश रोड फेज चतुर्थ किशनगढ़, अजमेर पंजीकरण योजना’

आवेदक/आवेदिका
का नवीनतम
सत्यापित फोटो

आवेदन क्रमांक

आवेदन-पत्र

आवेदित आय वर्ग:- _____ (सम्बन्धित आय वर्ग लिखें।)

1.	आवेदक/आवेदिका का नाम (आवेदक स्वयं का नाम स्पष्ट अंकित करें इसमें किसी प्रकार की काटछांट नहीं करें)	श्री/श्रीमती.....
2.	पिता/पति का नाम (आवेदक कॉलम की पूर्ति हेतु किसी प्रकार की काटछांट नहीं करें)	श्री.....
3.	जन्म तिथि
4.	राष्ट्रीयता
5.	स्वयं की पहचान हेतु वांछित दस्तावेज (सत्यापित छाया प्रति संलग्न करें)	पैन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/ <input type="checkbox"/> झाइविंग लाइसेन्स/बिजली/पानी/टेलीफोन बिल <input type="checkbox"/> भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र/अन्य फोटोयुक्त मान्य दस्तावेज
6.	व्यवसाय का स्वरूप इंगित (V) करें (आवेदक कॉलम की पूर्ति हेतु किसी प्रकार की काटछांट नहीं करें)	वैतनिक <input type="checkbox"/> अवैतनिक <input type="checkbox"/>
7.	आवेदक का पता (दस्तावेज संलग्न करें) (मण्डल द्वारा इसी पते पर पत्र व्यवहार किया जायेगा) दूरभाष नं. मोबाइल नं ई-मेल पता
8.	आवेदक/आवेदकों की कुल वार्षिक आय (रु. में) (वित्तीय वर्ष 2019-2020) पैन नम्बर, (लागू हो तो अवश्य लिखें)	(आवेदक कॉलम की पूर्ति हेतु किसी प्रकार की काटछांट नहीं करें)
	(अ) स्वयं की आय	
	(ब) पत्नी/पति की आय	
	(स) आश्रितों की आय	
	कुल वार्षिक आय : (अ+ब+स)	
9.	यदि आवेदक पूर्व पंजीकृत है तो पंजीकरण प्रपत्रों की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करें	
	क. आय वर्ग जिसमें पंजीकरण हुआ है:	
	ख. पंजीकरण का वर्ष	
	ग. वरीयता क्रमांक :	
आवेदित पंजीकरण का विवरण		
10.	पंजीकरण राशि रु0	वर्तमान आवेदित आय वर्ग
11.	बैंक ड्राफ्ट सं. बैंक का नाम दिनांकरु.
12.	भुगतान की पद्धति	नगद भुगतान पद्धति <input type="checkbox"/> किराया क्रय पद्धति <input type="checkbox"/>
13.	निम्नांकित तालिका में अपना वर्ग (श्रेणी) इंगित (✓) करें (प्रमाण-पत्र संलग्न करें)	
	जी-1: वैतनिक श्रेणी— वैतनिक श्रेणी— प्रथम (केन्द्र सरकार के कर्मचारी तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के बोर्ड/निगम के कर्मचारी/प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत कर्मचारी) वैतनिक श्रेणी— द्वितीय (राज्य सरकार के कर्मचारी, अधिकारी)	जी-2: सामान्य श्रेणी प्रोफेशनल श्रेणी केवल प्रोफेशनल एडवोकेट, चार्टर्ड एकाउन्टेंट एवं प्राइवेट डॉक्टर
	जी-3: आवासन मण्डल कार्मिक (बोर्ड कर्मचारी)	जी-4: अनुसूचित जाति
	जी-5: अनु. जनजाति	जी-6: वर्तमान एवं भूतपूर्व विधायक/सांसद/अधिस्वीकृत पत्रकार
	जी-7: स्वतंत्रता सैनानी	जी-8: भूतपूर्व सैनिक एवं सैनिकों की विधवाएं
	जी-9: विकलांग (अन्धता, शारीरिक व मूक बधिर)	जी-10: वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिक एवं ऐशियाड/ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाड़ी।



राजस्थान आवासन मण्डल

आवेदन पत्र प्राप्ति रसीद

पंजीकरण योजना वर्ष 2020

‘किशनगढ़ खोड़ा गणेश रोड फेज चतुर्थ पंजीकरण योजना’

आवेदन क्रमांक.....

श्री/श्रीमती.....से.....वर्ग हेतू.....

.....योजना के अन्तर्गत ऊपर वर्णित क्रमांक का आवेदन पत्र का प्राप्त किया।

मय बैंक ड्राफ्ट संख्या.....दिनांक.....बैंक का नाम.....

शाखा.....


(नोट : उपरोक्त समस्त पूर्तियां आवेदक स्वयं करे।)

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता

14.	आवेदक का बैंक बचत खाता संख्या, जिसमें पंजीकरण नहीं होने की स्थिति में रिफण्ड की राशि का चैक भिजवाया जा सकें :-		
(अ)	बैंक, शाखा एवं शहर का नाम		
(ब)	बचत खाता संख्या		
(स)	आई.एफ.एस.सी.कोड		
15.	संलग्नक :		
	i स्वयं की पहचान का फोटोयुक्त दस्तावेज ii पैन नम्बर (लागू हो तो) और भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र नम्बर (यदि हो तो) iii पते का प्रमाण पत्र iv आय का प्रमाण पत्र v पूर्व पंजीकरण से संबंधित प्रमाण प्रपत्र (यदि कोई हो) vi पंजीकरण राशि का बैंक ड्राफ्ट vii श्रेणी विशेष का प्रमाण पत्र viii स्वयं अथवा पति-पत्नी अथवा आश्रितों के नाम कोई भूमि/भवन न होने संबंधी शपथ पत्र। ix अन्य वांछित प्रमाण-पत्र/शपथ पत्र।		
16.	क्या स्वयं अथवा आश्रित संबंधी के पास पूरा या भाग के रूप में कोई फ्री होल्ड/पट्टे पर किशनगढ़ योजना में भूखण्ड या मकान है, यदि हां तो उसका विवरण:		
17.	घोषणा :-		
	1. मैं इसके द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान में सही है और कुछ भी छुपाया नहीं गया है।		
	2. मैं इसके द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने इस आवेदन प्रपत्र के साथ किये गये पंजीकरण के अनुबन्धों एवं शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ लिया तथा समझ लिया है और मैं उनका पालन किये जाने के लिए सहमत हूँ।		
	3. मेरा आवेदन स्वीकार होने पर मैं आवासन मण्डल द्वारा समय-समय पर मांग की गई राशियां जमा नहीं करता हूँ तो आवासन मण्डल बिना किसी सूचना के मेरा पंजीकरण/आवंटन निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार रहूंगा।		
	4. मेरी मृत्यु होने की दशा में, मैं निम्नलिखित व्यक्तियों को अधिमानक्रम में नाम निर्देशित करता/करती हूँ:-		
	क्र.सं.	नाम	आयु
			सम्बन्ध
			प्रथम
			द्वितीय
			तृतीय

सत्यापित
(नोटरी पब्लिक/राजपत्रित अधिकारी)
मुहर के साथ

हस्ताक्षर आवेदक/आवेदिका
नाम
स्थान
दिनांक


चालान संख्या.....
 राजस्थान आवासन मण्डल अजमेर

पंजीकरण योजना वर्ष 2020
‘किशनगढ़ खोड़ा गणेश रोड फेज चतुर्थ पंजीकरण योजना’
किशनगढ़
प्रथम प्रति
(आवेदक द्वारा भरा जावे)

ICICI Bank Ltd. A/c No. 777705678221
IFSC Code ICIC0006786

1. आवेदक/आवेदिका
का नाम.....
2. पत्र व्यवहार का पता:.....
.....
.....
3. भुगतान पद्धति : नकद/किराया क्रय
4. आय वर्ग :
5. बैंक डी.डी. नम्बर :
- बैंक का नाम :
- दिनांक :
6. पंजीकरण राशि (अंको में).....
(शब्दों में)
-
- दिनांक :-
- स्थान :-

आवेदक के हस्ताक्षर


चालान संख्या.....
 राजस्थान आवासन मण्डल अजमेर

पंजीकरण योजना वर्ष 2020
‘किशनगढ़ खोड़ा गणेश रोड फेज चतुर्थ पंजीकरण योजना’
किशनगढ़
द्वितीय प्रति
(आवेदक द्वारा भरा जावे)

ICICI Bank Ltd. A/c No. 777705678221
IFSC Code ICIC0006786

1. आवेदक/आवेदिका
का नाम.....
2. पत्र व्यवहार का पता:.....
.....
.....
3. भुगतान पद्धति : नकद/किराया क्रय
4. आय वर्ग :
5. बैंक डी.डी. नम्बर :
- बैंक का नाम :
- दिनांक :
6. पंजीकरण राशि (अंको में).....
(शब्दों में)
-
- दिनांक :-
- स्थान :-

आवेदक के हस्ताक्षर


चालान संख्या.....
 राजस्थान आवासन मण्डल अजमेर

पंजीकरण योजना वर्ष 2020
‘किशनगढ़ खोड़ा गणेश रोड फेज चतुर्थ पंजीकरण योजना’
किशनगढ़
तृतीय प्रति
(आवेदक द्वारा भरा जावे)

ICICI Bank Ltd. A/c No. 777705678221
IFSC Code ICIC0006786

1. आवेदक/आवेदिका
का नाम.....
2. पत्र व्यवहार का पता:.....
.....
.....
3. भुगतान पद्धति : नकद/किराया क्रय
4. आय वर्ग :
5. बैंक डी.डी. नम्बर :
- बैंक का नाम :
- दिनांक :
6. पंजीकरण राशि (अंको में).....
(शब्दों में)
-
- दिनांक :-
- स्थान :-

आवेदक के हस्ताक्षर

चालान संख्या.....
 राजस्थान आवासन मण्डल अजमेर

पंजीकरण योजना वर्ष 2020
‘किशनगढ़ खोड़ा गणेश रोड फेज चतुर्थ पंजीकरण योजना’
किशनगढ़
चतुर्थ प्रति
(आवेदक द्वारा भरा जावे)

ICICI Bank Ltd. A/c No. 777705678221
IFSC Code ICIC0006786

1. आवेदक/आवेदिका
का नाम.....
2. पत्र व्यवहार का पता:.....
.....
.....
3. भुगतान पद्धति : नकद/किराया क्रय
4. आय वर्ग :
5. बैंक डी.डी. नम्बर :
- बैंक का नाम :
- दिनांक :
6. पंजीकरण राशि (अंको में).....
(शब्दों में)
-
- दिनांक :-
- स्थान :-

आवेदक के हस्ताक्षर